क्रम संख्या–111

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 28 मई, 2008 ई0
ज्येष्ठ 07, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1347/XXXVI (4)/2008
देहरादून, 28 मई, 2008

## अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 26 मई, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 07, सन् 2008 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

## उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2008
(अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2008)

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में यथा संशोधित एवं यथा प्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा संशोधित एवं यथा प्रवृत्त) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा भारत गणराज्य के 59वें वर्ष में निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :–

## अध्याय–एक

### प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

## अध्याय–दो

### भाग–1

### संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947

धारा 11–क की उपधारा (3) एवं (4) का संशोधन

2. संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (समय–समय पर यथा संशोधित एवं उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 क में–

"उपधारा (3) एवं (4) में आये शब्द 'एक तिहाई से अन्यून' के स्थान पर शब्द 'आधे से अन्यून' रख दिये जायेंगे।"

धारा 12 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) एवं (ग) का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 12 में–

"उपधारा (5) के खण्ड (ख) एवं (ग) में आये शब्द 'एक तिहाई से अन्यून' के स्थान पर शब्द 'आधे से अन्यून' रख दिये जायेंगे।"

## अध्याय–तीन

### उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961

धारा 6क, 7क, 18क तथा धारा 19क की उपधारा (2) एवं (3) का संशोधन

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथा संशोधित एवं उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 6क, 7क, 18क तथा धारा 19क की उपधारा (2) एवं (3) में आये शब्द "एक तिहाई से अन्यून" के स्थान पर शब्द "आधे से अन्यून" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
आर0 डी0 पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand Panchayat Law (Amendment) Bill, 2008 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 07 of 2008) :--

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 26 May, 2008.

No. 1347/XXXVI(4)/2008
*Dated Dehradun, May 28, 2008*

NOTIFICATION
Miscellaneous

THE UTTARAKHAND PANCHAYAT LAW (AMENDMENT) ACT, 2008
(ACT No. 07 of 2008)

To further amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (as amended from time to time and as applicable to the State of Uttarakhand) and the Uttar Pradesh Zila Panchayat Raj and Khestra Panchayat Act, 1961 (as amended from time to time and as applicable to the State of Uttarakhand) to the context of the State of Uttarakhand

AN

ACT

*Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the 59th year of the Republic of India as follows:--*

## Chapter-I

### Preliminary

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Panchayat Law (Amendment) Act, 2008.

   (2) It shall come in to force at once.

## Chapter-II

### Part-I

### The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947

Amendment of sub-section (3) and (4) of section 11A

2. In section 11-A of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (as amended from time to time and as applicable to the State of Uttarakhand) (hereinafter referred to as Principal Act)--

   "In place of words 'not less than one third' occurring in sub-section (3) and (4), the word 'not less than one half' shall be substituted."

Amendment of Clause (b) and (c) of sub-section 5 of section 12

3. In section 12 of the Principal Act--

   "In place of words 'not less than one third' occurring in clause (b) and (c) of sub-section (5), the word 'not less than one half' shall be substituted."

## Chapter-III

### The Uttar Pradesh Khestra Panchayat and Zila Panchayat Act, 1961

Amendment of sub-section (2) and (3) of section 6A, 7A, 18A and section 19A.

4. In section 6A, 7A, 18A and section 19A of the Uttar Pradesh Khestra Panchayat and Zila Panchayat Act, 1961 (as amended from time to time and as applicable to the State of Uttarakhand) the words "not less than one half" shall be substituted in place of words "not less than one third", occurring in sub-section (2) and (3).

By Order,

R.D. PALIWAL,

*Secretary.*

पी०एस०यू० (आर०ई०) 16 विधायी/391–2008–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।